सीगा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण संख्या 153/2019(RCMS 2019/00277) सरकार जरिये सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अभि.), श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> हेतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार, उम्र 26 वर्ष निवासी कीकरवाली (रायसिंहनगर) जिला श्रीगंगानगर

<u>15.06.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगगानगर हमराह श्री अशोक कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर आकस्मिक जांच हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति कुम्हार, आयु 26 वर्ष, ग्राम पंचायत कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर स्थित निवास पर पहुंचे। जांच दल द्वारा श्री हेतराम पुत्र ओम प्रकाश ग्राम पंचायत कीकरवाली के निवास की **जांच करने पर पाया कि मौके पर निवास के बाहर बाई ओर एक टीवी(इलैक्ट्रॉनिक) व दांई ओर एक जनरल स्टोर (शटर बंद) मिली**। जांच दल द्वारा दांई ओर स्थित जनरल स्टोर की तलाशी लेने पर दुकान के अंदर एक रजिस्टर (ऊपर क्लासमेट अंकित) व एक नोटबुक (उपर पारस अंकित) रखी मिली जिनकी **जांच करने पर विभिन्न व्यक्तियों को डीजल विक्रय (उधार व नकद) का हिसाब किताब लिखा होना पाया गया, जिसे वजह सबूत जब्त किया गया**। जांच दल को मौके पर उक्त व्यक्ति के निवास में एक बबूल के वृक्ष के नीचे मौके पर महेन्द्रा बोलरो मैक्सी ट्रक नम्बर आरजे 13-जीबी-0667 खड़ी मिली जिसे लोहे के कवर से साइडो को ढका गया था व पीछे की ओर लोहे के ताला बंद किया गया था इस पर जांच दल द्वारा वाहन को संदिग्ध मानकर उसकी तलाशी ली गई जिस पर **वाहन के ग्लव बॉक्स में एक बिल नं. 41172** दिनांक 22.06.2019 मात्रा 121.99 **लीटर का पाया गया** जिसको मैसर्स श्री बालाजी एचपी पेट्रो सिटी डीलर इन एचपीसीएल गांव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गुमजाल (अबोहर), पंजाब द्वारा जारी किया गया था। इसके उपरान्त बोलेरा मैक्सी वाहन के पीछे लगे हुए डाला गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें तलाशी में पांच लोहे के ड्रम पाये गये इनमें से तीन ड्रम खाली व दो अन्य ड्रम में क्रमशः 230 व 110 लीटर तरल/डीजल (मौके पर सुंघने, देखने पर डीजल पाया गया) भरा मिला। इस प्रकार **दोनों ड्रमों में जांच करने पर कुल 340 लीटर डीजल मौके पर मिला।** इसके साथ ही वाहन से 1 हरे रंग की ड्रम से डीजल निकालने वाली एक इंच पाईप (10 फीट लंम्बाई), एक डीजल निकालने का पंप, एक कीप, एक 10 लीटर का नाप, एक 50 लीटर क्षमता का प्लास्टिक गैलन रखा मिला। मौके पर पुनः वाहन के ग्लव बॉक्स की सघन तलाशी लेने पर उसमें से बिल संख्या 7549 मात्रा 400 लीटर, 7550 मात्र 400 लीटर, 7551 मात्रा 400 लीटर क्रमशः श्री महेन्द्रजी, श्री विनय जी, श्री ओमप्रकाश जी के नाम से एक ही दिनांक 07.10.2019 को मैसर्स एडहॉक वरयाम खेड़ा फिलींग स्टेशन एचपीसी एनएच–62 गुमजाल (अबोहर) पंजाब द्वारा जारी किये हुए बरामद किये गये। **श्री हेतराम द्वारा मौके पर चार ओर बिल भी पेश किये जिन पर 400 लीटर मात्रा अंकित थी इनका विवरण क्रमशः 10267/22.10.19, मात्रा 400 ली. (मनजीत सिंह), 10268/22.10.19 मात्रा 400 ली.(कमलेश), 10269/22.10.19 मात्रा 400 ली. (विजय कुमार), 10270/22.10.19 मात्रा 400 ली. (ओम प्रकाश) के नाम से जारी होने पाये गये, इस प्रकार कुल 1600 लीटर और डीजल विभिन्न अलग अलग नाम से खरीद का तथ्य जांचकर्ताओं के समक्ष आया।** उक्त अंकित एक बिल नं. 41172 दिनांक [illegible] 2019 मात्रा 121.99 लीटर व उपरान्त दिनांक 22.10.2019 के चार [illegible] की कुल मात्रा 1600 लीटर है जिससे पता चलता है कि दिनांक 22.10.[illegible] को ही कई बार इसी वाहन से पंजाब से डीजल लाने के कार्य में प्रयुक्त [illegible] ता है। श्री हेतराम द्वारा ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ का निकटवर्ती राज्य पंजाब से अवैध परिवहन करके अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रूप से विक्रय करने का कारोबार किया जाता है। उक्त बिलों पर अंकित नाम वाले काश्तकारों को मौके पर बुलाने हेतु कहा गया परन्तु सांय 3:00 बजे तक कोई भी काश्तकार मौके पर उपस्थित नही आया व ना ही अगले दिन कोई वैद्य दस्तावेज पेश किये। उक्त वाहन (आरजे 13–जीबी–0667) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि श्री हेतराम पुत्र श्री ओम प्रकाश के निवास से बरामद वाहन महेन्द्रा बोलरो मैक्सी ट्रक पूर्व में भी 6ए प्रकरण संख्या 03/2018 अनवान् सरकार बनाम धनराज वगै. में 1650 लीटर डीजल अवैध परिवहन करके जब्त किया गया व दोनों के विरूद्ध पुलिस थाना घमूडवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट 128/2018 दर्ज की गई। उक्त वाहन के संबंध में दोनों व्यक्तियों द्वारा एस.बी.सी. आर.मिस.पेटी नं. 4155/2018 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एफ.आई आर को क्वेस्ट (Quashed) कर दिया गया। इस सम्बन्ध में 6 ए प्रकरण संख्या 03/2018 इस न्यायालय में विचाराधीन होना अंकित है। मौके पर किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे पता चलता है कि उक्त हेतराम पुत्र श्री ओम प्रकाश द्वारा वाहन (आरजे 13–जीबी– 0667) बार –बार आदतन अवैध डीजल परिवहन के कार्य में प्रयोग किया जा रहा है व इसके आधार पर दिनांक 25.10.2019 को नये सिरे से फर्द जब्ती तैयार करके वाहन (आरजे 13–जीबी–0667) को जब्त करके जरिये सुपुर्दगीनामा उचित मूल्य दुकानदार हेतराम पुत्र हनुमान प्रसाद ग्राम पंचायत कीकरवाली की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री हेतराम पुत्र ओम प्रकाश जाति कम्हार आयु 26 वर्ष ग्राम पंचायत कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर द्वारा डीजल का अवैध परिवहन, भण्डारण व विक्रय करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(Q)(R), 3(4)(6), 4 की उल्लंघना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के कारण उक्त जब्तशुदा 340 लीटर डीजल मय 5 ड्रम (तीन हरे व दो नीले रंग के) व एक महेन्द्रा बोलरो मैक्सी ट्रक (आरजे13—जी—0667), 1 हरे रंग की ड्रम से डीजल निकालने वाली एक इंच पाईप (10 फीट लम्बाई), एक डीजल निकालने का पंप, एक कीप, एक 10 लीटर व एक 5 लीटर का नाम, एक 50 लीटर क्षमता का प्लास्टिक गैलन धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने लिखित बहस को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23.10.2019 को अप्रार्थी के घर पर किसी प्रकार का कोई आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया गया बल्कि किसी व्यक्ति की शिकायत का कहा गया कि किसी व्यक्ति द्वारा अप्रार्थी के डीजल विक्रय की शिकायत की गई हैं

उनका आगे कथन था कि घर के बाहर जनरल स्टोर वर्ष 2014 में रही है जिसका राशन का हिसाब की रजिस्टर कॉपियां है जो डीजल विक्रय से सम्बन्धित नहीं है एवं ना ही डीजल विक्रय का कोई सामान अप्रार्थी का वाहन जो अप्रार्थी द्वारा पूर्व स्वामी से खरीद किया गया है, उक्त वाहन कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जाता है एवं उक्त डीजल अपने खेती के लिए टयूबवैल व ट्रैक्टर को चलाने के लिए लाया जाता है। दिनांक 23.10.2019 को भी अप्रार्थी के वाहन में करीब 350 लीटर रखा हुआ था जो किसी को वरवक्त विक्रय नहीं किया जा रहा था। उक्त वाहन में डीजल नापने की पाईप, पम्प एवं कीप रखी हुई जो खेत में इंलन चलित ट्यूबवैल में डीजल डालने के लिए ले गई थी जो वाहन में पडे थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि ... पेशे से कृषक है एवं अप्रार्थी के कृषि कार्य के लिए ... टयूबवेल के लिए हर समय डीजल की आवश्यता रहती है एवं पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण अप्रार्थी जरूरत के हिसाब से खरीद्द कर लाता रहता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी दिनांक 22.10.2019 को भी अपने कृषि कार्य के लिए अपने साथी मंजीत के साथ 1600 लीटर डीजल लाया था। **पंजाब पेट्रोल पम्प द्वारा एक साथ 1600 लीटर डीजल का बिल जारी नहीं किया गया,** इसलिए परिवार के सदस्यों के नाम काटे गये एवं बिल संख्या 41172 मात्रा 121.99 लीटर वाहन संख्या आरजे 13– 0667 में डलवाया गया। कोई भी व्यक्ति 121.99 लीटर डीजल लेकर आना व तत्पश्चात पुनः 400 लीटर डीजल लेने के लिए बार–बार पंजाब करीब 100 किलोमीटर जाना किसी भी प्रकार से व्यवहारिक नहीं है और कोई भी व्यक्ति पंजाब से 400 लीटर डीजल विक्रय करेगा। यह तो लाभ का कारोबार ही नही होता।

उनका अगे कथन था कि दिनांक 22.10.2019 को 121.99 लीटर डीजल अपने वाहन एवं 1600 लीटर डीजल अपने वाहन में परिवहन कर लाया गया था जिसमें से करीब 1250 लीटर डीजल अप्रार्थी ने अपने खेत में बने इंजन चलित ट्यूबवैल के लिए इस्तेमाल किया गया। शेष 350 लीटर डीजल अप्रार्थी अपने वाहन में वापिस घर पर ले आया था जो रात होने के कारण वाहन में ही पड़ा था जो अप्रार्थी का खरीदशुदा है। अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार व भारत सरकार के नियमों की पालना में 2500 लीटर डीजल से कम डीजल खरीद किया गया है, जिसके परिवहन के लिए किसी प्रकार की परिवहन की आवश्यकता नहीं है।

उनका अगे कथन था कि अप्रार्थी के वाहन के सम्बन्ध में पूर्व में भी गलतफहमी व नियम विरूद्ध का मानकर एक प्रकरण थाना घमूड़वाली में दर्ज किया गया जिसके आधार पर 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 3/2018 दर्ज हुआ परन्तु अप्रार्थी द्वारा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया जिसके कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मुकदमा को Quashed कर दिया। वर्तमान में भी समस्त डीजल 1600 लीटर अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कब्जाशुदा अथवा बरामदशुदा डीजल 350 लीटर अप्रार्थी का मान लिया तब भी अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध विक्रय का कोई ना तो दस्तावेज है और ना ही मौके पर विक्रय करते पाया गया।

उनका आगे कथन था कि प्रकरण संख्या 3/2018 का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर संख्या 128/2018 पुलिस थाना घमूड़वाली को Quashed करने के उपरान्त किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार Quashed के पश्चात जब्तशुदा डीजल व वाहन को लौटाने के निर्देश है। इसलिए पूर्व प्रकरण विचाराधीन नहीं रहा। वाहन संख्या आरजे 13 —जीबी 0667 के सम्बन्ध में जांच अधिकारी को बता दिया गया कि उक्त वाहन अप्रार्थी द्वारा वाहन के पूर्व मालिक से खरीद किया है जिसके कागजात भी प्रार्थी को दिखाये गये परन्तु प्रार्थी ने स्वीकार नहीं किये।

उनका आगे कथन था कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को पूर्व प्रकरण में दोषमुक्त या Quashed करना आदतन अपराधी साबित नहीं करता बल्कि प्रार्थी के लिए विचारणीय है कि उनको नियमों की सही जानकारी नही है एवं बिना नियमों की पालना किये बनाया गया प्रकरण चलने योग्य नहीं है। वर्तमान प्रकरण भी नियमों के विरूद्ध बनाया गया है। अप्रार्थी ने समस्त डीजल 1600 लीटर नियम की पालना में खरीद किया है जिसके लिए बिल की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः बिल लेने का कोई बाध्यता नहीं है। अप्रार्थी द्वारा 2500 लीटर डी[illegible] कम डीजल खरीद किया गया है इसके लिए अप्रार्थी [illegible] की भी आवश्यकता नहीं है बल्कि **पंजाब पम्प द्वारा एक साथ 160[illegible] लीटर** डीजल का विक्रय जारी न करने के कारण ही परिवार के सदस्यों के नाम बिल बनवाये है। परिवार के सदस्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के नाम बिल बनवाना अपराध नहीं है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध बनाये गये प्रकरण को निरस्त कर अप्रार्थी का 350 लीटर डीजल व वाहन छोड़ने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार ने कथन किया कि अप्रार्थी की बहस के अनुसार यदि अप्रार्थी के घर के बाहर जनरल स्टोर वर्ष 2014 में रहा है परन्तु उसके पास उपलब्ध हिसाब के रजिस्टर कॉपियां वर्ष 2014–2017 की है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीजल का विक्रय के कार्य में लिप्त है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन व डीजल को राजसात किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का आगे कथन था कि अप्रार्थी पेशे से कृषक है तो उसके द्वारा जांच के वक्त या उसके पश्चात ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे पता चले अप्रार्थी पेशे से कृषक है जबकि उसके पास पंजाब से लाये गये निम्न बिल बरामद हुए है:

बिल संख्या	दिनांक	नाम	मात्रा	राशि
4002	22.09.2019	जगदीश सुथार	400	26268
4004	22.09.2019	राकेश	400	26268
7549	07.10.2019	महेन्द्र	400	26544
7550	07.10.2019	विजय	400	26544
7551	07.10.2019	ओमप्रकाश	400	26544
10267	22.10.2019	मनजीत सिंह	400	26232
10268	22.10.2019	कमलेश	400	26232
10269	22.10[illegible]	[illegible]	400	26232
10270	22.10.2019	ओम[illegible]श	400	26232
41171	22.10[illegible]	[illegible]	121.99	8000
41172	22.10.2019	जसविन्द्र सिंह	121.99	8000
10290	23.10.2019	..... सिंह	220	14450
		योग	4063.98	2,67,546

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त बिलों के आधार पर अप्रार्थीण दिनांक 22.09.2019 को 800 लीटर दिनांक 07.10.2019 को 1200 लीटर, दिनांक 22.10.2019 को 1843.98 लीटर एवं दिनांक 23.10.2019 को 220 लीटर **इस प्रकार एक माह में 4063.98 लीटर डीजल राशि 2,67,546/— रूपये का क्रय किया गया है** जो कृषि कार्य हेतु इतना अधिक डीजल प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन व डीजल को राजसात किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का आगे कथन कि वाहन संख्या आरजे—13—जीबी—0667, हेतराम पुत्र ओम प्रकाश प्रकरण संख्या 03/2018 अनवान् सरकार बनाम धनराज वगै. में 1650 लीटर डीजल अवैध परिवहन करके जब्त किया गया वा दोनों के विरूद्ध पुलिस थाना घमूड़वाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट 128/2018 दर्ज की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त हेतराम पुत्र ओम प्रकश द्वारा वाहन संख्या **आरजे—13—जीबी—0667 बार—बार आदतन अवैध डीजल परिवहन के कार्य में प्रयोग में लिया जा रहा है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन व डीजल को राजसात किया जावे।**

मैनें विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज बिलों की प्रतियों के रूप में प्रस्तुत है, का भी ध्यानपूर्व अवलोकन किया तो पाया कि यह मामला जिला रसद अधिकारी, रसद विभाग, श्रीगंगानगर के प्रवर्तन अधिकारी (अभि), श्रीगंगानगर ने श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगगानगर हमराह श्री अशोक कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर आकस्मिक जांच हेतु श्री हेतराम पुत्र [illegible] प्रकाश जाति कुम्हार, आयु 26 वर्ष, ग्राम पंचायत की[illegible]स्थित निवास पर पहुंचे। जांच दल द्वारा श्री हेतराम पुत्र ओम प्रक[illegible] ग्राम पंचायत कीकरवाली के निवास की जांच करने पर पाया कि मौके पर निवास के बाहर बाई ओर एक टीवी(इलैक्ट्रॉनिक) व दांई ओर एक जनरल स्टोर (शटर बंद) मिली। जांच दल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा दांई ओर स्थित जनरल स्टोर की तलाशी लेने पर दुकान के अंदर एक रजिस्टर (ऊपर क्लासमेट अंकित) व एक नोटबुक (उपर पारस अंकित) रखी मिली, जिनकी जांच करने पर विभिन्न व्यक्तियों को डीजल विक्रय (उधार व नकद) का हिसाब किताब लिखा होना पाया गया, जिसे वजह सबूत जब्त किया गया। जांच दल को मौके पर उक्त व्यक्ति के निवास में एक बबूल के वृक्ष के नीचे मौके पर महेन्द्रा बोलरो मैक्सी ट्रक नम्बर आरजे13– जीबी–0667 खड़ी मिली, जिसे लोहे के कवर से साइडो को ढका गया था व पीछे की ओर लोहे के डाला बंद किया गया था, इस पर जांच दल द्वारा वाहन को संदिग्ध मानकर उसकी तलाशी ली गई जिस पर वाहन के ग्लव बॉक्स में एक बिल नं. 41172 दिनांक 22.10.2019 मात्रा 121.99 लीटर का पाया गया जिसको मैसर्स श्री बालाजी एचपी पेट्रो सिटी डीलर इन एचपीसीएल गांव गुमजाल (अबोहर), पंजाब द्वारा जारी किया गया था। इसके उपरान्त बोलेरा मैक्सी वाहन के पीछे लगे हुए डाला गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें तलाशी में पांच लोहे के ड्रम पाये गये इनमें से तीन ड्रम खाली व दो अन्य ड्रम में क्रमशः 230 व 110 लीटर तरल/डीजल (मौके पर सुंघने, देखने पर डीजल पाया गया) भरा मिला। इस प्रकार दोनों ड्रमों में जांच करने पर कुल 340 लीटर डीजल मौके पर मिला। इसके साथ ही वाहन से 1 हरे रंग की ड्रम से डीजल निकालने वाली एक इंच पाईप (10 फीट लंबाई), एक डीजल निकालने का पंप, एक कीप, एक 10 लीटर का नाप, एक 50 लीटर क्षमता का प्लास्टिक गैलन रखा मिला। मौके पर पुनः वाहन के ग्लव बॉक्स की सघन तलाशी लेने पर उसमें से बिल संख्या 7549 मात्रा 400 लीटर, 7550 मात्र [illegible] 7551 मात्रा 400 लीटर क्रमशः श्री महेन्द्रजी, श्री विन[illegible] के नाम से एक ही दिनांक 07.10.2019 को मैसर्स एडहॉक वर[illegible] खेड़ा फिलींग स्टेशन एचपीसी एनएच–62 गुमजाल (अबोहर) पंजाब द्वारा जारी किये हुए बरामद किये गये। श्री हेतराम द्वारा मौके पर चार ओर बिल भी पेश किये जिन पर 400 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर

मात्रा अंकित थी इनका विवरण क्रमशः 10267/22.10.19, मात्रा 400 ली. (मनजीत सिंह), 10268/22.10.19 मात्रा 400 ली.(कमलेश), 10269/22.10.19 मात्रा 400 ली. (विजय कुमार), 10270/22.10.19 मात्रा 400 ली. (ओम प्रकाश) के नाम से जारी होने पाये गये, इस प्रकार कुल 1600 लीटर और डीजल विभिन्न अलग अलग नाम से खरीद का तथ्य जांचकर्ताओं के समक्ष आया। उक्त अंकित एक बिल नं. 41172 दिनांक 22.10.2019 मात्रा 121.99 लीटर व उपरान्त दिनांक 22.10.2019 के चार बिल जिनकी कुल मात्रा 1600 लीटर है जिससे पता चलता है कि दिनांक 22.10.2019 को ही कई बार इसी वाहन से पंजाब से डीजल लाने के कार्य में प्रयुक्त होता है। श्री हेतराम द्वारा ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ का निकटवर्ती राज्य पंजाब से अवैध परिवहन करके अवैध रूप से विक्रय करने का कारोबार किया जाता है। उक्त बिलों पर अंकित नाम वाले काश्तकारों को मौके पर बुलाने हेतु कहा गया परन्तु सांय 3:00 बजे तक कोई भी काश्तकार मौके पर उपस्थित नही आया व ना ही अगले दिन कोई वैद्य दस्तावेज पेश किये। उक्त वाहन (आरजे13–जीबी–0667) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि श्री हेतराम पुत्र श्री ओम प्रकाश के निवास से बरामद वाहन महेन्द्रा बोलरो मैक्सी ट्रक पूर्व में भी 6ए प्रकरण संख्या 03/2018 अनवान् सरकार बनाम धनराज वगै. में 1650 लीटर डीजल अवैध परिवहन करके जब्त किया गया व दोनों के विरूद्ध पुलिस थाना घमूडवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट 128/2018 दर्ज की गई। उक्त वाहन के संबंध में दोनों व्यक्तियों द्वारा एस.बी.सी[illegible].पेटी नं. 4155/2018 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर [illegible] (Quashed) कर दिया गया। इस सम्बन्ध में 6 ए प्रकरण [illegible] 03/2018 इस न्यायालय में विचाराधीन होना अंकित है। मौके पर किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे पता चलता है कि उक्त हेतराम पुत्र श्री ओम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर

प्रकाश द्वारा वाहन (आरजे13—जीबी— 0667) बार —बार आदतन अवैध डीजल परिवहन के कार्य में प्रयोग किया जा रहा है व इसके आधार पर दिनांक 25.10.2109 को नये सिरे से फर्द जब्ती तैयार करके वाहन (आरजे13— जीबी — 0667) एवं जब्त शुदा 340 लीटर डीजल मय 5 ड्रम (तीन हरे व दो नीले रंग के) व एक महेन्द्रा बोलरो मैक्सी ट्रक (आरजे13—जी—0667), 1 हरे रंग की ड्रम से डीजल निकालने वाली एक इंच पाईप (10 फीट लंबाई), एक डीजल निकालने का पंप, एक कीप, एक 10 लीटर व एक 5 लीटर का नाम, एक 50 लीटर क्षमता का प्लास्टिक गैलन को जब्त किया गया है। इस प्रकार श्री हेतराम पुत्र ओम प्रकाश जाति कम्हार आयु 26 वर्ष ग्राम पंचायत कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर द्वारा डीजल का अवैध परिवहन, भण्डारण व विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(Q)(R), 3(4)(6), 4 की उल्लंघना की गई है।

मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है इसलिए उक्त 2005 एवं 1999 के आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा [illegible] के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी हेतराम पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

अप्रार्थी हेतराम पुत्र ओम प्रकाश से जो वाहन महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी (आरजे13–जीबी–0667) में डीजल जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(Q)(R), 3(4)(6), 4 की उल्लंघन किया है।

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or consumer to another dealer or consumer or to aby other person in contravention of the directive issued for the purpose by the Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:38:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provesion of ths order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company.

3(4) **No person other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling product.**

3(6) **No dealer, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice.**

4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

अप्रार्थीगण ने अपने लिखित बहस में उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे13–जीबी–0667 एवं 350 लीटर डीजल जब्त होने से इंकार नहीं किया है बल्कि उक्त पंजाब पैट्रोल पम्प द्वारा एक साथ 1600 लीटर डीजल का बिल जारी नहीं करने के कारण परिवार के सदस्यों के नाम से काटे गये एवं बिल संख्या 41172 मात्रा 121.99 लीटर वाहन संख्या आरजे–13 जीबी 0667 में डलवाना अंकित किया गया है कोई दस्तावेज पेश करने की प्रार्थना की गई है। उक्त कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कृषक होने सम्बन्धित अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया हैं और न ही किसी कृषक व अन्य व्यक्ति को 1600 लीटर से अधिक डीजल क्रय करने की उक्त आदेश 1999 की धारा 2आई के तहत कोई अधिकारिता है और अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के कब्जे से प्राप्त दिनांक 22.09.2019 को 800 लीटर दिनांक 07.10.2019 को 1200 लीटर, दिनांक 22.10.2019 को 1843.98 लीटर एवं दिनांक 23.10.2019 को 220 लीटर इस प्रकार एक माह में 4063.98 लीटर डीजल क्रय किया गया पाया जाता है।

चूंकि उक्त अप्रार्थी से फर्द जब्ती के अनुसार हेतराम पुत्र ओम प्रकश से 350 लीटर जब्त किया गया है और एक माह में विभिन्न बिलों से 4063.98 लीटर डीजल पंजाब से क्रम करने पाये गये है और उसके पास उक्त जब्तशुदा डीजल के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र नही है जिसके आधार पर डीजल को अपने कब्जे में रख सके और विक्रय कर सके। अप्रार्थी हेतराम पुत्र ओमप्रकश का इतनी बडी मात्रा में डीजल को क्रय करके अपने कब्जे में रखना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त डीजल जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पिकअप वाहन में परिवहन करना अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा डीजल व वाहन संख्या आरजे13–जीबी–0667 राजसात किये जाने योग्य है।

अतः जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा वाहन संख्या आरजे 13–जीबी–0667 व जब्त [illegible] 5 ड्रम (तीन हरे व दो नीले रंग के), 1 हरे रंग [illegible] एक इंच पाईप (10 फीट लंबाई), एक डीजल [illegible] कीप, एक 10 लीटर व एक 5 लीटर का नाम, एक 50 लीटर क्षमता का [illegible]स्टिक गैलन को राजसात करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है इसलिए माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन संख्या आरजे13–जीबी–0667 का अनुमानित बाजार भाव 3,50,000/–से 4,00,000/– रूपये है। इसलिए वाहन पर 3,20,000/– रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है व इसमें छिजत होने की संभावना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(I) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 340 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 340 लीटर डीजल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि इस प्रकरण में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरावचंन वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 09.06.2021 से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 25/2021 अनवान् सरकार बनाम महावीर प्रसाद के अनुसार राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अनुसार डीजल कीमत पर 26 प्रतिशत की दर से वैट, 30 प्रतिशत की दर से शास्ति एवं 1.75/— रूपये प्रति लीटर सैस देय बनता है। चूंकि उक्त प्रकरण में 340 लीटर डीजल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13—जीबी—0667 राजसात करने के आदेश दिये गये है और वाहन पर 3,20,000/— रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। वैट अधिनियम के तहत कार्रवाई करने एवं वैट वसूली करने के लिए सम्बन्धित विभाग स्वयं सक्षम है अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें। वैट अधिनियम की उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण की कार्यवाही से अलग रखा जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरावचंन वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:23 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर